न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः— राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—65/2022/225 आर.टी.एक्ट (2022/65)

1. नरेन्द्रसिंह पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी गाडोती तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर हाल सिविल लाईन्स गेन, हवा सड़क जयपुर।

अपीलांट

बनाम

1. हरिसिंह पुत्र रामकरण जाति जाट निवासी गाडोती तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार मौजमाबाद जिला जयपुर।

रेस्पोडेंट्स

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू विरूद्ध निर्णय दिनांक 1.02.2022 राजस्व वाद संख्या 48/2021

उपस्थितः—

1. श्री प्रदीप विश्नोई, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री निरंजन पारीक, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 02.

निर्णय

दिनांकः— 12.12.2022

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक), दूदू के द्वारा प्रकरण संख्या 48/2021 में पारित आदेश आदेश दिनांक 1.02.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अप्रार्थी संख्या 1 हरिसिंह द्वारा एक वादपत्र बाबत खातेदारी घोषणा का न्यायालय सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर के समक्ष प्रस्तुत किया। अपने वादपत्र के साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया। प्रार्थना पत्र दर्ज कर नोटिस जारी किए गए नरेन्द्रसिंह द्वारा जरिए अधिवक्ता उपस्थित होकर प्रकरण मे जवाब प्रस्तुत किया और हरिसिंह द्वारा प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया एवं वादग्रस्त आराजी में बराबर का हिस्सा होना दर्शित किया। न्यायालय सहायक कलेक्टर दूदू जिला जयपुर दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत अपने निर्णय दिनांक 01.02.2022 से धारा 212 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक अप्रार्थी नरेन्द्र सिंह को जरिए अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कर दिया कि वाके ग्राम गडोती तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में प्रार्थी के हिस्से की आराजी में अप्रार्थी किसी प्रकार की दखलंदाजी न स्वयं करे न ही किसी अन्य से करावे तथा उक्त आराजीयात को दीगर व्यक्तियों को रहन बय मुन्तकिल आदि नहीं करे

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

एवं राजस्व रिकार्ड व मौके की स्थिति बनाए रखे का आदेश पारित कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक), दूदू के द्वारा प्रकरण संख्या 48/2021 में पारित आदेश आदेश दिनांक 1.02.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस अपील में कथन किया कि प्रकरण में हरिसिंह द्वारा प्रस्तुत वाद में स्वयं को विवादित आराजी का एकमात्र वारिस मानकर वादपत्र प्रस्तुत किया है और अपने भाई नरेन्द्रसिंह को अन्य के गोदपुत्र मानते हुए अपने पिता स्व0 रामकरण की भूमि खाता संख्या 44 के आराजी खसरा संख्या 18, 19, 22, 23, 275, 68, 86, 87, 88, 89, 90, 91 कुल कित्ता 12 कुल रकबा 10.38 है0 भूमि वाके ग्राम गडोती तहसील मौजमावाद जिला जयपुर में विरासतन हक बताते हुए सम्पूर्ण आराजी पर खातेदारी घोषणा का अनुतोष चाहा है और उसी आधार पर सम्पूर्ण आराजी में ताफैसला अस्थाई निषेधाज्ञा चाही गई है इसके विपरीत नरेन्द्रसिंह द्वारा प्रस्तुत जवाब व वसियतनामा की प्रति प्रस्तुत कर दर्शित किया है कि प्रार्थी व अप्रार्थी के पिता रामकरण द्वारा अपने जीवनकाल में एक पंजीकृत वसीयतनामा निष्पादित की है और उस पंजीकृत वसीयतनामा के आधार पर मुझ प्रतिवादी/प्रार्थी को 1/2 हिस्से का हक दिया गया है चुंकि पिता द्वारा अपने जीवनकाल में ही पंजीकृत वसीयतनामा कर दी थी ऐसे में नामांतरकरण वसीयतनामा के आधार पर ही दर्ज किया जाना विधिक नियमों के अंतर्गत आता है इसलिए विवादित आराजी में हरिसिंह व नरेन्द्रसिंह दोनों का वसीयत के अनुसार हक बनता है और उसी अनुसार उक्त वादग्रस्त आराजी में नामांतरकरण दर्ज करने के अधिकारी है इसलिए प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा निरस्त फरमाई जावे। सुविधा का संतुलन अपीलार्थी के पक्ष में है क्योंकि जब पक्षकार द्वारा अपने जीवनकाल में पंजीकृत वसीयत से किसी व्यक्ति को हक प्रदान कर दिया जाता है तो उस वसीयत के आधार पर ही अधिकार उत्पन्न होता है ऐसे में विरासत नामांतरकरण का प्रावधान लागू नहीं होता है इसलिए वसीयत के पंजीकृत होने के आधार पर अपीलार्थी भूमि का अंकन अपने नाम कराने का प्रथम अधिकारी बनता है। अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु आवश्यक अपूर्णीय क्षति के विंदु का भी विधिवत रूप से विवेचन नहीं किया गया है कि यह भी अपीलार्थी के पक्ष मे साबित होता है क्योंकि वसीयतनामा के आधार पर मृतक की सम्पत्ति के हक अंतरित होते है एक सम्पति धारक किसी भी व्यक्ति के पक्ष में अपनी सम्पति को अपनी इच्छा से वसीयत करने का अधिकारी होता है और जहां वसीयत कर दी गई है वहां विरासत हक लागू नहीं होगा चाहे ऐसा व्यक्ति जिसके पक्ष में वसीयत की गई हे वह परिवार का सदस्य हो या न हों वह सम्पति प्राप्त करने का अधिकारी होता है इसलिए प्रार्थी के पक्ष में वादग्रस्त आराजी का अधिकारी होने से प्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से अपूर्णीय क्षति कारित होगी। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावें व न्यायालय सहायक कलेक्टर(फास्ट ट्रेक), दूदू के द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.02.2022 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01 ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि आराजी जमाबंदी सम्वत 2073 से 2076 के खाता संख्या 44

के आराजी खसरा नम्बर 18,19,22,23,275,68,88,87,88,89,90,91 कुल किता 12 कुल रकबा 10.3800 वाके ग्राम गाडोती तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में स्थित है, जो वर्तमान में प्रार्थी व अप्रार्थी के पिता स्व0 रामकरण पुत्र उदयराम के नाम से हिस्सा सम्पूर्ण राजस्व रिकार्ड में दर्ज है जिसका अप्रार्थी एकमात्र रिकार्डेड काबिज काश्त है तथा सरकारी लगान जमा करवाते आ रहा है। उपरोक्त स्थिति के अनुसार प्रार्थी व अप्रार्थी के पिता रामकरण पुत्र उदयराम का स्वर्गवास हो चुका है एवं उनकी पत्नी का भी स्वर्गवास 2020 में हो चुका है। प्रार्थी जो कि श्रीमती जीऊबाई पत्नी मन्नालाल जाट के गोद दिया गया है, जिसका रजिस्टर्ड गोदनामा दिनांक 26.02.1977 को निष्पादित हुआ है तथा प्रार्थी संख्या 1 अपने नाना–नानी के गोद से प्राप्त सम्पत्ति पर पूर्ण अधिकार था तथा विक्रय भी कर दिया है, इस प्रकार स्व0 रामकरण के अप्रार्थी अकेला ही विधिक वारिस रहा है चूंकि रामकरण का स्वर्गवास हो चुका है, इसलिए विवादित आराजीयात कानूनन अब अकेले अप्रार्थी के नाम दर्ज होनी चाहिए। वर्तमान में विवादित आरजी पर अप्रार्थी ही काबिज काश्त चला आ रहा है। कानूनन हिन्दू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के तहत गोद जाने के बाद अपने प्राकृतिक पिता की सम्पति में किसी किस्म का हक व हिस्सा नहीं होता है। इसलिए प्रार्थी का स्व0 रामकरण की आराजीयात में किसी प्रकार का हक व हिस्सा नहीं होने से वह नामांतरकरण खुलवाने का अधिकारी नहीं है एकमात्र अप्रार्थी ही घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी है। जब अप्रार्थी दिनांक 25.06.2021 को विवादित आरजीयात की सार सभाल करने गए तो वहां प्रार्थी सख्या 1 विवादित आराजीयात का वादग्रस्त आराजी दीगर व्यक्तियों को दिखा रहे थे, जब अप्रार्थी ने इसका कारण पूछा तो प्रार्थी ने धमकी दी कि आराजीयात का शीघ्र ही स्व0 रामकरण का नामांतकरण खुलवाकर विवादित आराजीयात को दीगर व्यक्तियों को विक्रय कर तुम्हें बेदखल किया जावेगा। अतः अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6. हमनें विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि आक्षेपित आदेश दिनांक 1.2.2022 में विधिनुसार अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र के मूल तीनों सिद्धांत प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति का विवेचन किए बिना किया गया है तथा उक्त आदेश विस्तृत आदेश नहीं होकर संक्षिप्त आदेश है,, तथा प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दस्तावेजों की प्रमाणित/सत्य प्रतिलिपियां प्रस्तुत नहीं कर फोटो प्रतिया प्रस्तुत की है जिसके आधार पर किसी भी प्रकार से निर्णय किया जाना संभव नहीं है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त फोटो प्रतियों के आधार पर उक्त आदेश दिनांक 01.02.2022 पारित किया है जिसमें अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गंभीर विधिक त्रुटि कारित की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 01.02.2022 को निरस्त किया जाकर अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ उक्त पत्रावली पुनः प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते है कि वे उनके समक्ष लंबित पत्रावली बाबत मूल/सत्यापित प्रतिलिपियां प्राप्त कर दोनों पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों सिद्धातो प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय

क्षति बाबत विस्तृत विवेचना करते हुए सी0पी0सी0 के आदेश 20 की पालना में विस्तृत रूप से निर्णय पारित करें।

7. अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), दूदू के द्वारा प्रकरण संख्या 48/2021 में पारित आदेश दिनांक 01.02.2022 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय से प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे उनके समक्ष लंबित पत्रावली बाबत मूल/सत्यापित प्रतिलिपियां प्राप्त कर दोनों पक्षकारों को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर अस्थाई निषेधाज्ञा के तीनों सिद्धांतों प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीय क्षति बाबत विस्तृत विवेचना करते हुए सी0पी0सी0 के आदेश 20 की पालना में विस्तृत रूप से निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर, दूदू के न्यायालय में दिनांक 13.01.2023 को उपस्थित रहने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 12.12.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सारे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर